

वाराणसी नगर निगम, वाराणसी

वाराणसी नगर निगम के परिवहन विभाग में वाहन मरम्मत हेतु परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ एवं उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन में लघु उद्योग इकाई के रूप में

पंजीकृत "A" श्रेणी के गैराजों का पंजीकरण प्रपत्र

1. फर्म का नाम -
2. फर्म का प्रकार -
3. फर्म/प्रोपराइटर का पता -
4. फर्म/प्रोपराइटर का पैन नं० -
5. फर्म/प्रोपराइटर का जी०एस०टी० नं० -
6. परिवहन आयुक्त कार्यालय का पंजीकरण संख्या -
7. गैराज का पता -
8. गैराज का क्षेत्रफल -
9. गैराज का स्वामित्व का प्रकार -
10. कुल कार्यरत मैकेनिक/फिटर/अकुशल कर्मी -
11. प्रत्येक का विवरण एवं अनुभव आधार कार्ड सहित -
12. फर्म का अनुभव (यदि कोई है) -
13. सम्बन्धित सभी दावों की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।
14. आवेदन फार्म को यदि पंजीकरण हेतु पात्र पाया जाता है तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व रु० 1 लाख की धरोहर राशि जमा करनी होगी ।
15. पंजीकरण हेतु पात्र फर्म से रिपेयरिंग की शर्तों का पृथक से अनुबन्ध किया जाएगा ।
16. गैराज में कार्यरत मैकेनिक/फिटर/अकुशल कर्मी का श्रम विभाग में एक माह में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा ।